समाहरणालय, मधुबनी।

(जिला स्थापना शाखा)

–: आ दे श :–

मिशन निदेशक–सह–प्रधान सचिव, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक–909, दिनांक–02.07.2018 एवं पत्रांक–2382, दिनांक–24.12.2019 से प्राप्त निदेश के आलोक में नियोजन मुक्त कार्यपालक सहायक (अनुशासनिक कारणों से नियोजन मुक्त कर्मियों को छोड़कर) जिला में संधारित नियोजन मुक्त कार्यपालक सहायकों के पैनल (मेधासूची) से कुल–11 (ग्यारह) कार्यपालक सहायकों को सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी के पत्रांक–285/जि0सा0सु0 दिनांक–13.07.2019 के द्वारा संसूचित रिक्त पदों के आलोक में अनुमोदित आरक्षण रोस्टर के अनुसार संविदा के आधार पर नियोजित करते हुए जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी को इनकी सेवा प्रदान की जाती है। नियोजित अभ्यर्थी अपने नाम के सामने अंकित कार्यालय में दिनांक– 20.02.2020 तक योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। उक्त निर्धारित तिथि के बाद योगदान करने पर उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	अभ्यर्थी का कोटि	आवासीय पता	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	3	4	5	6	7	8
1	चन्दन कुमार राम	श्री सुमन राम	07.06.1993	अनु0 जाति	ग्राम+पो0–सोनौली, थाना–मशरख, जिला–सारण–847421	जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी
2.	विरेन्द्र कुमार कामत	श्री हरिनारायण कामत	08.08.1993	अ0पि0 वर्ग	ग्राम+पो0–पचरूखी, थाना–बाबूबरही, जिला–मधुबनी–847224	जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी
3.	मो0 इरशाद आलम	मो0 मुसा	05.10.1993	अ0पि0 वर्ग	ग्राम–रज्जाकबाबू टोल पो0+थाना–पंडौल, जिला–मधुबनी–847234	जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी
4.	राजीव किशोर पासवान	स्व0 लक्ष्मी पासवान	10.10.1993	अनु0 जाति	ग्राम+पो0–रॉटी थाना–राजनगर, जिला–मधुबनी–847214	जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी
5.	सोनू कुमार	श्री जयनन्दन प्रसाद	05.02.1994	अ0पि0 वर्ग	बड़ा बजार, राउतपट्टी, वार्ड नं0 3मधुबनी, जिला–मधुबनी–847211	जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी
6	सुधीर कुमार कामत	श्री प्रमोद कामत	06.05.1994	अ0पि0 वर्ग	ग्राम–गांगापुर पो0–डी0नाथवान, थाना–पंडौल, जिला–मधुबनी–847234	जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी
7	राकेश कुमार राय	श्री नन्द किशोर राय	12.06.1994	अ0पि0 वर्ग	ग्राम+पो0–सौराठ थाना–रहिका, जिला–मधुबनी–847213	जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी
8	जावेद अख्तर	मो0 इस्लाम	01.01.1995	अ0पि0 वर्ग	ग्राम+पो0–खजुरी, थाना+जिला–मधुबनी– 847212	जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी
9	निधि कुमारी	श्री संतोष कुमार प्रसाद	16.05.1995	सामान्य (महिला)	तिलक चौक, गौशाला रोड, वार्ड नं0–6 मधुबनी, जिला–मधुबनी–847211	जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी
10	पूजा कुमारी	श्री सुरेश चौधरी	10.06.1995	पिछड़ा वर्ग (महिला)	ग्राम+पो0–गोबरौरा, थाना–खजौली, जिला–मधुबनी–847228	जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी
11	मधु कुमारी	श्री अशोक नायक	25.09.1995	पिछड़ा वर्ग (महिला)	सुभाष चौक, सुरतगंज वार्ड नं0 14, मधुबनी, पो0–मधुबनी मधुबनी–847211	जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी

2–उपर्युक्त चयनित अभ्यर्थी को निदेश दिया जाता है कि सम्बन्धित नियोजित/पदस्थापन कार्यालय में निम्नांकित हार्डवेयर का अधिष्ठापन योगदान के तीन दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को भी सूचित करेंगे। 1. एक डेस्कटॉप 2. एक प्रिंटर (Black &White) 3. एक यू0पी0एस0 4. इन्टरनेट कनेक्शन

3–यह नियोजन मात्र 3 (तीन) माह के लिए होगा।

4–3 (तीन) माह के नियोजन अवधि में इस अंतरिम व्यवस्था अन्तर्गत नियोजित सभी कार्यपालक सहायकों को बेल्ट्रोन द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। दक्षता परीक्षा का स्तर वेल्ट्रोन के डाटा इंट्री आपरेटर (DEO) हेतु निर्धारित मापदंड के अनुरूप होगा।

5–दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का नियोजन आवश्यकतानुसार 3 (तीन) माह के उपरान्त जारी रखा जा सकता है। अनुत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। योगदान के समय इस आशय का दायित्व/शपथ पत्र इन नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

6–नियोजन की कार्रवाई बेल्ट्रोन द्वारा उसकी सूचीकरण प्रक्रिया सम्पन्न होने तक की जा सकेगी। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार की कोई भी नियोजन जिला स्तरीय पैनल से नहीं किया जाएगा।

7–नियोजन की प्रकिया पूरी करने के साथ–साथ इन सभी नियोजित कार्यपालक सहायकों का दक्षता परीक्षा आयोजित करने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा ऑन लाईन निबंधन हेतु बेल्ट्रोन से अनुरोध किया जाएगा तथा उक्त कम में सभी आवश्यक कार्रवाई ससमय पूर्ण की जाएगी।

8–बेल्ट्रोन द्वारा निर्धारित शुल्क 1000/–प्रति अभ्यर्थी का भुगतान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी/संबंधित विभाग/संबंधित कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

9–नियोजित कार्यपालक सहायकों का मानदेय का भुगतान अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक 488 दिनांक 07.03.2019 में निहित निदेश के आलोक में संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

10–पदस्थापन कार्यालय में योगदान के समय अलग से दो फोटाग्राफ राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित जमा करना होगा तथा पदस्थापन कार्यालय द्वारा इसे कार्यालय में संधारण/सुरक्षित रखा जायेगा।

11–उक्त चयनित अभ्यर्थियों को योगदान के समय एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें उनके विरूद्ध अपराधिक मामला दर्ज नहीं हो एवं दहेज नही लेन–देने संबंधी तथ्यों का उल्लेख हो।

12–असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र योगदान के समय देना होगा।

13–नियोजित कार्यपालक सहायकों को अपने पदस्थापन मुख्यालय में आवासीत रहना होगा।

14–नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय–समय पर सम्बन्धित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इन्हें कभी भी बिना किसी सूचना के कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।

15–नियोजित कार्यपालक सहायक द्वारा ऑन लाईन आवेदन में दिए गए जानकारी/विवरण गलत पाये जाने पर नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।

16–संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेगें और अनुमान्य किसी भी सरकारी सुविधा के हकदार नहीं होगें। संविदा के आधार पर नियोजन के वाद सरकारी सेवा में नियमितिकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा और न ही नियमितिकरण का दावा कर सकेंगे। तत्सम्बन्धी एकरारनामा पदस्थापन कार्यालय में योगदान के समय सभी चयनित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित किया जायेगा।

17–बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक 2341 दिनांक 23.12.2019 में अंकित शर्तो का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।

18–बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक–2382 दिनांक–24.12.2019 के आलोक में पुनर्नियोजित कार्यपालक सहायक की सेवा अवधि की गणना की जाएगी।

19–इस नियोजन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा किसी प्रकार का प्रतिकूल आदेश प्राप्त होने की स्थिति में इस नियोजन पर उक्त आदेश प्रभावी होगा।

20–इन्हें बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक–436 दिनांक–26.02.2019 में निहित प्रावधानानुसार आकस्मिक अवकाश/अर्जित अवकाश/मातृत्व अवकाश/पितृत्व अवकाश एवं अवैतनिक अवकाश देय होगा।

दिनांक–03.02.2020 को आयोजित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में सहमति/अनुमोदन प्राप्त है।

सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाय।

ह०
स्थापना उप समाहर्त्ता,
मधुबनी।

ज्ञापांक 225/जि०स्था०, मधुबनी, दिनांक 12 वीं 2 2020 ई०।

प्रतिलिपि :– सम्बन्धित चयनित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी को उनके पत्रांक–285/जि०सा०सु० दिनांक–13.07.2019 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी/आई०टी० प्रबंधक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि उक्त नियोजन पत्र की सूचना वेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, मधुबनी को सादर सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, बेल्ट्रॉन, बिहार, पटना को संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों का निबंधन करने हेतु सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ समर्पित।

12.2.2020
स्थापना उप समाहर्त्ता,
मधुबनी।